(62)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2623-पीबीआर/2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 30-5-2002 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण क्रमांक 39/2000-01/अपील ।

1-समरथमल पिता मोतीलाल जैन
2-लक्ष्मीनारायण पिता बद्रीलाल मोर्य
3-श्रीमती कल्पना पति अभयकुमार जैन
4-श्रीमती कमलाबाई पति हीरालाल जैन
निवासी गण ग्राम बेटमाखुर्द तहसील देपालपुर
जिला इंदौर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

सुरेश पिता शिवनारायण
निवासी ग्राम बेटमाखुर्द तहसील देपालपुर
जिला इंदौर

.....अनावेदक

श्री पी0जी0पाठक, अभिभाषक-आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/8/18 **को पारित)**

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-5-2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार देपालपुर के समक्ष संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि यशपालसिंह पिता सजनसिंह एवं सुमित्राबाई बेवा सजनसिंह के भूमिस्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 479 क्षेत्रफल 14.978 हेक्टेयर आवेदक एवं अनावेदक द्वारा अलग अलग विक्रय पत्रों से क्रय की है, जिसके बटे नम्बर अनावेदक द्वारा पटवारी से मिलकर करवा लिये है एवं बटे नम्बर पुन:विधिवत रूप से किये जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 26-4-2000 को आदेश पारित कर संशोधित बटा फर्द स्वीकृत की गई । तहसील न्यायालय के आदेश से परिवेदित होकर अनुविभागीय अधिकारी देपालपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-9-2000 से स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनंक 30-5-2002 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी पहलू नजरअंदाज किया गया है कि आवेदकगण एवं अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विशिष्ठ भाग क्रय नहीं किये है। इस कारण से भूमिका बंटवारा किया जाना आवश्यक था । अत: प्रारंभिक न्यायालय द्वारा बिना किसी बटवारा किये बटे नम्बर स्वीकृत करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित बटे नम्बर का आदेश आवेदकगण के पीठ पीछे किया गया । अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा संहिता की धारा 178 के प्रावधानों को समझे बगैर आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर आयुक्त ने यह माना है कि तहसील न्यायालय को अपने पूर्व आदेश को बदलने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने इस तथ्य पर ध्याननहीं दिया है कि पूर्व के बटे नम्बर तहसील न्यायालय द्वारा न करते हुये अनाधिकृत रूप से पटवारी द्वारा किये गये थे, लेकिन तहसील न्यायालय में अनावेदक को सुना नहीं गया । इस न्यायालय में भी अनावेदक का पता सही नहीं होने से उस पर तामीली नहीं हुई है । अत: इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तीनों

अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर सभी पक्षों को सुनकर पुन: कार्यवाही के लिये प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाये ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-5-2002 तथा अनुविभागीय अधिकारी देपालपुर जिला इंदौर 28-9-2000 व नायब तहसीलदार बेटमा देपालपुर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-4-2000 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर